

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

कमांक 1687 / आर-501 / 2021 / ब-1 / चार

भोपाल दिनांक 23 / 12 / 2021

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय भोपाल

विषय:- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत योजना की गाईडलाइन अनुसार राज्यांश के लिए खोली गई बजट लाईन में पुनर्विनियोजन के माध्यम से समानुपातिक राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-1. प्रथम अनुपूरक संबंधी वित्त विभाग का पत्र कमांक 748 / आर-501 / 2021 / ब-1 / चार, भोपाल दिनांक 25 / 08 / 2021


2. वित्त विभाग का पत्र कमांक 956 / आर-501 / 2021 / ब-1 / चार, भोपाल दिनांक 10 / 11 / 2021

-000-

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के राज्यांश आहरण के लिए पृथक बजट लाईनों में प्रथम अनुपूरक 2021-22 में प्रतीक प्रावधान रखा गया है। योजना की गाईडलाइन अनुसार इन बजट लाईनों में राज्यांश के अनुपात में निर्धारित राशि का पुनर्विनियोजन करने हेतु संदर्भित पत्र-2 द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 30 / 11 / 2021 तक के लिए अधिकार प्रत्यायोजित किए गए थे।

2 / उपरोक्तानुसार बजट नियंत्रण अधिकारियों को प्रदत्त किये गये प्रत्यायोजित अधिकार की समय सीमा दिनांक 31 / 03 / 2022 तक निर्धारित की जाती है। शेष प्रक्रिया पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



23/12/2021
(रूपेश कुमार पठवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-- प्रथम, म.प्र., ग्वालियर।
2. आयुक्त , कोष एवं लेखा, म.प्र., पर्यावास भवन, भोपाल।
3. समस्त उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।



अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग